संख्या-84/2015/आर.एफ.79/नौ-9-15-70आर.एफ./15

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
सयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,नौतनवां,जनपद-महराजगंज/मोहम्मदी,जनपद-खीरी/बछरांयू,जनपद-अमरोहा/बांसी,जनपद-सिद्धार्थ नगर/ सोरों, जनपद-कासगंज/हल्दौर,चांदपुर,किरतपुर,बिजनौर,नूरपुर,जनपद-बिजनौर/भदोही,जनपद-भदोही/ककराला,जनपद-बदांयू/खलीलाबाद, जनपद-संतकबीर नगर/देवरिया,जनपद-देवरिया/गौरा बरहज,जनपद-देवरिया/

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊः दिनांक 06 अगस्त, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में नया सवेरा नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से ब्याज रहित ऋण की धनराशि स्वीकृति करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर नया सवेरा नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नया सवेरा नगर विकास योजना से अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से संलग्न सूची में अंकित विवरण के अनुसार 15 नगर पालिका परिषदों द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष कुल धनराशि रू0 50,34,30,000/- (रूपये पचास करोड चौंतिस लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये **उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत कुल धनराशि रू0 25,17,15,000/- (रूपये पच्चीस करोड सत्र लाख पन्द्रह हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।

http://upgandesium.in/

(2)- स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा, उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि को किसी अन्य बैंक/ डाकघर/ पी0एल0ए0 व डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान आदि का कार्य निकाय के सम्बन्धित सक्षम अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे तथा धनराशि के सदुपयोग एवं शासन को ऋण की अदायगी के लिए व्यक्तिगत/ संस्थागत रूप से उत्तरदायी होगें।

(4) योजनान्तर्गत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2015/ बी-1-925/ दस-2015 -231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 तथा कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1425/क0नि0 प्र0/26-3-2013-13(21)/2013,दिनांक 10 अक्टूबर,2013 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय /उपयोग योजना आयोग,भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देश के अनुसार किया जाय।

(6)- प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित निकाय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(7)- धनराशि का उपयोग केवल स्वीकृत कार्यों पर ही किया जायेगा। किसी अन्य योजना/कार्यक्रम पर बिना शासन की अनुमति के व्यय नहीं किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा। विद्युत कार्यो के लिये शासनादेश दिनांक 19.11.2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8)- स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य यदि किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं, तो प्रश्नगत धनराशि आहरण करने से पूर्व समस्त अभिलेखों सहित तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय।

(9)- स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिए स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(10)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो को समयबद्ध रूप से व पूर्ण गुणवत्ता के साथ कराये जाने का दायित्व संबंधित निकाय का होगा। धनराशि का भुगतान कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही किया जायेगा।

(11)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियम "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात् "नया सवेरा नगर विकास योजना" का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य योजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का होगा।

(12) सम्बन्धित निकाय यह सुनिश्चित करायेगी कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत निकाय द्वारा जिस वार्ड में कार्य योजना प्रस्तावित की गयी है उस वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

(13)- उपर्युक्त अवस्थापना विकास एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे है। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात् तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। जिन निकायों को स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गयी है उनके द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि का 70 प्रतिशत उपयोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने के पश्चात अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(14)- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

(15)- वितीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि वे उसकी सूचना पूर्ण विवरण शासन/वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत करते हुये यथाविधिक स्वीकृति प्राप्त करें।

(16)- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एक वर्ष की अवधि में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तगर्त " लेखा शीर्षक 6215 जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02-मल-जल तथा सफाई-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के

http://upjalnigam.up.nic.in/

लिये विशेष घटक योजना-03 नया सवेरा नगर विकास योजना-0302 नगर पालिका परिषदें-30 निवेश/ऋण " के नामे डाला जायगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/ बी-1-925/ दस-2015 -231/2015,दिनांक 30 मार्च,2015 एवं बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग के पत्र संख्या- 07/26-ब0प्र0-2015,दिनांक 27 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित प्रशासकीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-84/2015/आरएफ.7(9)(1)/नौ-9-2015 तद दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3. कोषाधिकारी,महराजगंज/खीरी/अमरोहा/सिद्धार्थ नगर/कासगंज/बिजनौर/ भदोही/बदायूं/संतकबीर नगर/देवरिया ।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष,सम्बन्धित नगर पंचायत।
8. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
9. बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण विभाग,उ0प्र0शासन।
10. गार्ड फाइल ।
11. वेब मास्टर,कम्प्यूटर सेल नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

http://bsr.upnic.in/

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-06/08/2015

प्रेषण संख्या:- 84

आवंटन आदेश संख्या:- 001-84-2015-RF791-9-9-15-70RF-15

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनागत-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना
03 - नया सवेरा नगर विकास योजना
02 - नगर पालिका परिषदें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	बिजनौर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	95550000 130652000	95550000 130652000
2	बदायूं-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	3909000 3909000	3909000 3909000
3	देवरिया-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	26644000 26644000	26644000 26644000
4	लखीमपुर खीरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	19260000 19260000	19260000 19260000
5	सिद्धार्थनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9350000 9350000	9350000 9350000
6	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18232000 18232000	18232000 18232000

7	संत रविदास नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24823000 24823000	24823000 24823000
8	संत कबीर नगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	24327000 105599500	24327000 105599500
9	अमरोहा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18521000 18521000	18521000 18521000
10	कांसगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	11099000 26291000	11099000 26291000
	योग	वर्तमान प्रगामी	251715000 383281500	251715000 383281500

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पच्चीस करोड़ सत्रह लाख पन्द्रह हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अड़तीस करोड़ बत्तीस लाख इक्यासी हजार पाँच सौ

(उमा शंकर सिंह)
विशेष कार्याधिकारी

Incomplete